न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी:–श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 ग्राम–भलरो का बाड़ा

राजस्व आवेदन संख्या :–263 / 2025

प्रार्थी:–

मोहम्मद खां पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अजीत तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–श्री गणपतसिंह
प्रार्थी वकील

–:: आदेश ::– दिनांक :–18.09.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 235 रकबा 08.2556 हैक्टेयर ग्राम भलरो का बाड़ा तहसील समदड़ी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात–यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन पीपीओ की प्रति, जनाधार कार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम मोहम्मद खां पुत्र वली मोहम्मद ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम मोहम्मद खां पुत्र वली मोहम्मद के स्थान पर 'मोहम्मदशरीफ पुत्र वलीमोहम्मद' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदड़ी के पत्र कमांक–ग्रा.से.शि. / 2025/138 दिनांक 18.09.2025 द्वारा प्रार्थी [illegible] में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन पीपीओ की प्रति, जनाधार कार्ड आदि प्रस्तुत किये।

दौराने बहस प्रार्थी [illegible] कि उनका वास्तविक नाम मोहम्मद खां पुत्र वली मोहम्मद है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का त्रुटिवश नाम मोहम्मदशरीफ पुत्र वलीमोहम्मद लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.10.11 11:39:09 IST
Reason: SelfAttested

हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन पीपीओ की प्रति, जनाधार कार्ड आदि दस्तावेजात में उनका नाम मोहम्मद खां पुत्र वली मोहम्मद दर्ज है। तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम मोहम्मद खां पुत्र वली मोहम्मद होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भलरो का बाड़ा तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 235 रकबा 08.2556 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'मोहम्मदशरीफ पुत्र वलीमोहम्मद' के स्थान पर 'मोहम्मद खां पुत्र वली मोहम्मद' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18.09.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 ग्राम भलरो का बाड़ा में सरे आम सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
(सिवाना) (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.10.11 11:39:09 IST
Reason: SelfAttested